हमारी बात

अख़बार की सुर्खियों में कुछ दिनों से परिवार की चारदीवारी में अबोध बच्चियों के साथ होने वाली हिंसा—यौनिक हिंसा की खबरें आम हो गई हैं। सदियों से औरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए पुरुष अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करता आया है।

इस बात का गवाह इतिहास भी है। फिर द्रौपदी का चीर-हरण हो, सीता के सतीत्व पर लांछन हो या फिर शूर्पनखा के नाक-कान काटने का अमानवीय प्रसंग हो। इन सब उदाहरणों में औरत पर हिंसा की गई है।

आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बस, रूप अलग-अलग हो गए हैं। आज भंवरी का बलात्कार किया जाता है। सत्तो और ऊषा धीमन को सरे बाज़ार नंगा कर घुमाया जाता है। संतोष का चाचा और बाप उसके साथ रोज़ संबंध बनाते हैं। समाज इन सब वारदातों को अलग-अलग रंग देता है। किसी को जमीन के पीछे झगड़ा कहता है, किसी को समाज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का नतीजा। और किसी को घर के अंदर की समस्या कहकर दबा देता है।

इन वारदातों को वर्ग, जाति, मानसिक बीमारी के हिसाब से भी बांटा जाता है। बलात्कार सिर्फ निम्न वर्ग में होता है, और विकृत मानसिकता के पुरुष करते हैं, ज़रूरी नहीं है। बाप-बेटी, चाचा-फूफा द्वारा यौनिक हिंसा और अत्याचार मध्यम वर्ग में नहीं होता है, ऐसी भी बात नहीं है।

इस समाज के ठेकेदारों से पूछा जाए कि जब मंत्रालय में काम करने वाला पदाधिकारी अपनी बेटी के साथ रोज बलात्कार करता है तो यह क्या अनपढ-निम्न वर्ग की समस्या है? जब एक हाई कोर्ट का जज अपनी भतीजी का पांच माह का गर्भ गिरवाने डाक्टर के पास जाता है तो क्या वह विकृत मानसिकता का शिकार हो सकता है? जवाब है, नहीं। यह हमारे समाज के इज्जतदार लोग हैं।

यह पूरे समाज की समस्या है। सिर्फ निम्न वर्ग, अनपढ़, बीमार मर्दों की ही नहीं। यह उच्च, मध्यम, पढ़-लिखे, इज्ज़तदार लोगों के घरों में भी उतनी ही मौजूद है।

इस समस्या से जूझना है। सज़ा दिलानी है मुजरिम को। औरत को जीने के हक से महरूम नहीं होने देना है। फिर कठघरे में पति हो, चाचा हो, भाई हो या कोई अजनबी। क्योंकि नारी शरीर पर केवल औरत का अपना हक है। मानवता पर होने वाला यह कलंक बरसों सहा है, पर अब नहीं सहेंगे। अब हम सबको एक साथ उठ खड़े होने का वक्त आ गया है।